फ़र्द अहकाम

प्रेमदेवी बनाम विमला

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 237/2013

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	30/11/21	हुई है। शाकिल मिसल। P.O. साहब स्थानान्तरणाधीन है अतः पत्रावली वास्ते उचित अग्रिम कार्यवाही / आदेश वास्ते दिनांक 08/12/21 को पेश हो।
	08/12/21 ~~08/12/21~~	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनु.। P.O. साहब स्थानान्तरणाधीन है अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 04/01/22 को पेश हो।
	04/01/22	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनु.। P.O. साहब स्थानान्तरणाधीन है अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/01/22 को पेश हो।
M. कुमारी [illegible] सरिता चौधरी [illegible] [illegible] 25/1/22	25/01/22	पत्रावली पेश हुई। वादीगण सं. 01 व 02 स्वयं तथा वादी सं. 03 के उत्तराधिकारी के रूप में वादी सं. 2 (पत्नि), पुत्री सरिता (बालिग) स्वयं तथा अन्य नाबालिग उत्तराधिकारियों के संरक्षक के रूप में माता (वादी सं. 2) उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। वादीगण मय वारिसान मय मृतक वादी सं. 3 के वारिसान ने मय वकालतनामा के स्वयं उपस्थित होकर अवगत कराया है कि प्रकरण में वादी सं. 3 की मृत्यु पूर्व में दिनांक 06.08.18 को हो चुकी है जिसके वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने बाबत प्रार्थना पत्र 0-22 R-3,9 मय

P.T.O.

२०13/003357

फ़र्द अहकाम

प्रेमदेवी व अन्य बनाम / बिमला देवी व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

संख्या 231/2013

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	25/01/22	मृत्यु प्रमाण पत्र व कुर्सीनामा (वारिसनामा) के प्रस्तुत किया गया है तथा यह भी निवेदन किया गया है कि वादीगण अब प्रस्तुत वाद में अन्य कोई कार्यवाही आगे नहीं चाहते है तथा प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है एवं इसी स्तर पर वाद को विड्रॉ करना चाहते है। अतः वाद को मय प्रार्थनापत्र टी.आई. के इसी स्तर पर विड्रॉ की अनुमति प्रदान कीजावे। प्रार्थी वादीगण ने स्वयं की पहचान के संदर्भ में आधारकार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है तथा पक्षकारान (वादीगण) की पहचान प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा की गई है। हमने प्रार्थी वादीगण को सुना। तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि वादीगण स्वयं अब प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हुए इसी स्तर पर विड्रॉ करना चाहते है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर मृतक वादी क्र. 3 के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेते हुए वाद वादीगण विड्रॉ के आधार पर खारिज किया जाता है। प्रकरण के संदर्भ में अन्तरीम अस्थाई आदेश यदि प्रभावी हो तो मूलवाद के आज विड्रॉ के आधार पर खारिज किए जाने से अब स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर